न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/254/2016

उनवान

1. श्रीमती मांगी पुत्री खेमा बैरवा निवासी खजुरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती उदी पत्नी भूरा बैरवा निवासी बणौल तहसील राजनगर

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण संख्या 69/2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री मनोहरलाल बापना , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री प्रदीप व्यास अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 1

निर्णय

दिनांक 10.10.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया स्व0 नोला पिता किशना चमार(बैरवा) की एक मात्र जायन्दा पुत्री है तथा वादीया के पिता ने अपने जीवनकाल में किसी व्यक्ति को दत्तक नहीं लिया। मुझ वादीया के पिता के कोई जायन्दा पुत्र खेमा नहीं था। भेरा जी का पुत्र खेमा था। भैरा की मृत्यु सम्वत् 2010 से पहले ही हो चुकी थी तथा भैरा की कृषि आराजीयात खेमा के नाम पर विरासत से दर्ज हो गई। मुझ वादीया के पिता की आराजीयात ग्राम खजुरिया तहसील सहाड़ा के बेरून हल्के आबादी में आराजी नम्बर 23 आ0चा0 रकबा 01 बिस्वा व

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आ0नं0 24 रकबा 8 बीघा कुल कीता 2 कुल रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा सम्वत् 2020 से 2023 की जमाबन्दी में दर्ज थी। मुझ वादीया के पिता का देहान्त सम्वत् 2024 में हो गया तथा सम्पूर्ण खाता विरासत से मुझ वादीया के नाम पर दर्ज होना था लेकिन मैं अनपढ महिला होने से प्रतिवादीया मांगी के पिता तथा प्रतिवादीया सणगारी के पति खेमा के नाम पर विरासत से खेमा पिता नोला का नाम दर्ज करा दिया गया जबकि स्व0 खेमा, नोलाजी का पुत्र था ही नहीं। स्व0 खेमा वल्द भैरा ने मेरे पिता स्व0 नोला जी की मृत्यु के पश्चात अपने आपको स्व0 नोलाजी का जायन्दा पुत्र बताकर जरिये विरासत से सम्पूर्ण खाता की आराजीयात अपने नाम पर दर्ज करा दी गई।

2. यह कि स्व0 खेमा वल्द भेरा चमार की कृषि आराजी नम्बर 21 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, आ0नं0 170 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आ0नं0 21/1 रकबा 8 बिस्वा कुल कीता 3 कुल रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा सम्वत् 2020 से 2023 की जमाबन्दी में दर्ज थी। स्व0 खेमा जब नाबालिग था तभी भेरा की मृत्यु हो गई । खेमा भेरा का एक मात्र पुत्र था तथा खेमा की माता की मृत्यु भी भेरा के जीवनकाल में ही हो चुकी थी। स्व0 खेमा की परवरिश उसके मामा अमरा वल्द रता चमार ने की तथा स्व0 भेरा की कृषि आराजीयात खेमा के नाम सम्वत् 2010 के पूर्व ही आ चुकी थी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के पश्चात सन् 1974 में मुझ वादीया के पिता का स्वर्गवास हुआ तथा मैं वादीया ही स्व0 नोला जी की जायन्दा पुत्री हूं तथा विरासत से स्व0 नोलाजी की आराजीयात मुझ वादीया के नाम पर दर्ज होनी थी लेकिन प्रतिवादीयागण के पिता व पति ने अपने आपको स्व0 नोला जी का पुत्र बताकर गलत तरीके से नामान्तरकरण अपने नाम पर करा लिया।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. यह कि ग्राम खजूरिया में भूप्रबन्ध होने पर खेमा वल्द नोला जो कि नोला वल्द किशना की भूमिया व खेमा वल्द भेरा की आराजीयात का एक ही खाता बनाकर सम्पूर्ण भूमियां खेमा वल्द भेरा के खाते दर्ज कर दी गई तथा खेमा वल्द भेरा की मृत्यु के पश्चात नोला व खेमा की आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज कर दी गई। ग्राम खजूरिया में भूप्रबन्ध हो जाने से मुझ वादीया के पिता के नाम दर्ज आराजीयात के नवीन नम्बर बने जिसके अनुसार साबिक आ0नं0 23 आ0चा0 रकबा 01 बिस्वा के नवीन आ0नं0 63 रकबा 0.03 है0 पुरानी आ0नं0 24 रकबा 8 बीघा के नवीन आ0नं0 64 रकबा 0.32 है0, आ0नं0 68 रकबा 0.71 है0, आ0नं0 73 रकबा 0.64 है0 बने मिलान क्षैत्रफल वाद के साथ प्रस्तुत है।

4. यह कि स्व0 खेमा पिता भेरा की पुरानी आ0नं0 21 व 21/1 रकबा 13 बिस्वा रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के नवीन आ0नं0 65 रकबा 0.02 है0, आ0नं0 66 रकबा 0.34 है0, आ0नं0 67 रकबा 0.20 है0 पुरानी आ0नं0 170 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के नवीन आ0नं0 406 रकबा 0.30 है0 बने। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा खेमा पिता भेरा व नोला पिता किशना के दो खातों का एक नवीन खाता कायम करकके सम्पूर्ण आराजीयात वर्तमान खाता संख्या 59 प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज कर दी। वर्तमान जमाबन्दी की नकल साथ संलग्न है।

5. मुझ वादीया ने भेरा पिता स्व0 नोलाजी की आराजीयात मेरे नाम पर कराने हेतु प्रतिवादीगणों को कहा तो टालमटोल का जवाब देती रही व अन्तिम बार दिनांक 05.05.2008 को कहा तो प्रतिवादीगणों ने मना कर दिया व धमकी दी कि हमारे खाते में दर्ज भूमियों को हम विक्रय कर देगी जिससे मुझ वादीया को दिनांक 05.05.2008 से वाद हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अतः प्रार्थना है कि वाके ग्राम खजूरिया तहसील सहाड़ा के बैरून हल्के आबादी में स्थित साबिक आ0नं0 23 आ0चा0 रकबा 01 बिस्वा के नवीन आ0नं0 63 रकबा 0.03 है0 पुरानी आ0नं0 24 रकबा 8 बीघा के नवीन आ0नं0 64 रकबा 0.32 है0, आ0नं0 68 रकबा 0.71 है0, आ0नं0 73 रकबा 0.64 है0 जो कि नोला वल्द किशना के खातेदारी की भूमियां थी। मुझ वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने की बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीया डिक्री प्रदान कराई जावे। बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान कराई जावे कि मुझ वादीया की आराजीयात पर प्रतिवादीगण मेरे कब्जे काश्त में कोई दस्तनदाजी न तो स्वयं करे न अन्य किसी से करावें।

7. अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीया/प्रत्यर्थीया के वाद को स्वीकार किए जाने से उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीया/प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

8. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2016 खिलाफ कानून, वाकयात तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्षी के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार की यह मंशा है कि उभयपक्ष की आपसी रजामंदी से किसी प्रकरण को फैसला कराना चाहे तो अदालत को ऐसे प्रकरण को राजीनामा के आधार पर फैसल करना चाहिए किन्तु राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 की मंशा कतई नहीं है कि एक पक्ष को बिना सुने और उसकी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अनुपस्थिति में गुणावगणों पर प्रकरण का निर्णय कर दिया जावे। इस प्रकार अदालत मातहत ने लोक अदालत के कन्सेप्ट को नहीं समझने में भारी भूल की है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जिस प्रकरण में जहां जवाबदावा प्रस्तुत हो जाता है तो आदेश 20 नियम 1 के उप नियम 2 के अनुसार प्रकरण का निस्तारण तनकी वाईज करना आदेशात्मक है किन्तु अदालत मातहत ने न तो निर्णय में तनकीयात का अंकन किया और न तनकी वाईज निर्णय ही किया इस आधार पर भी अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। दायरी दावा दिनांक को अपीलान्ट प्रतिवादीया व मृतका सणगारी रेकार्डेड खातेदार काश्तकार थे और कानूनन रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलान्ट/वादीया के पिता खेमाजी को नोला ने सम्वत् 2005 के कार्तिक सुदी तीज को जाति समाज व रीति रिवाज अनुसार गोद रख लिया था। गोद के बाद स्व0 नोलाजी की मृत्यु सम्वत् 2012 के मगसर सुदी बीज को हो गई थी। गोद से नोलाजी की मृत्यु तक स्व0 नालाजी व अपीलान्ट के पिता खेमाजी साथ–साथ रहते थे। प्रतिवादीया/अपीलार्थी व मृतका सणगारी ने जवाबदावे के साथ जो सजरा प्रस्तुत किया उसका खण्डन वादीया/रेस्पोडेन्ट ने नहीं किया । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के 17 जून को प्रभाव में आने से पूर्व ही वादीया/रेस्पोडेन्ट के पिता नोलाजी का इन्तकाल हो गया था। ऐसी स्थिति में वादीया/रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार विरासतन कानूनन प्राप्त ही नहीं होते हुए भी अदालत मातहत ने दिनांक 28.05.2016 को वादीया/रेस्पोडेन्ट का वादपत्र डिक्री कर दिया व अपीलान्ट व मृतका सणगारी के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खाते की जमीन को रेस्पोडेन्ट/वादीया के नाम पर करने की डिक्री पारित कर दी व निषेधाज्ञा भी जारी कर दी जबकि वादवर्णित आराजीयात पर भौतिक रूप से कोई आधिपत्य ही नहीं था न है। अदालत मातहत ने लोक अदालत में ही दिनांक 28.05.2016 को अपीलान्ट/प्रतिवादीया की साक्षी भी बन्द करने का आदेश पारित कर दिया और वादीया/रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनकर निर्णय पारित कर दिया । किन्तु निर्णय अदालत मातहत द्वारा दिनांक 28.05.2016 को नहीं लिखाया जाकर सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में लिखाया जबकि कानूनन निर्णय सुनाने से पूर्व निर्णय को लिपिबद्ध किया जाना आदेशात्मक है। इस आधार पर भी मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे और अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2016 जो राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार सन् 2016 मुकाम गोवलिया तहसील सहाड़ा में पारित फरमाया गया को अपास्त फरमाया जावे। तथा प्रकरण को अपीलाण्ट की साक्षी तथा तनकीवार निर्णय करने हेतु अदालत मातहत में रिमाण्ड फरमाई जावे।

12. प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि खेमा पुत्र भेरा का खाता प्रारम्भ से ही अलग रहा है और उसने अपने पिता से आराजीयात प्राप्त की है। प्रदर्श–3 व प्रदर्श–6 के अनुसार साबित कराया है। पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीया/प्रत्यर्थी का अपने पिता के साथ–साथ अंश अनुसार ही कब्जा काश्त रहा है। नोला की मृत्यु 2012 में नहीं होकर सम्वत् 2024 में हुई जिसका अंकन नोला की जमीन खेमा के नामान्तरकरण की जमाबन्दी में अंकन किया है कि श्री खेमा हाजिर जिन्होंने जाहिर किया मेरे पिताजी 4 साल पहले फौत हो चुके हैं और मैं उनके एक ही जाईन्दा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

लड़का हूं और उनके नाम की जमीन विरासत से मेरे नाम की जावे'' उक्त अंकन सन् 1971 का होकर स्पष्ट है कि नोला की मृत्यु 1967 में यानि सम्वत् 2024 में हुई है। गोद सम्बन्धी कोई दस्तावेज नहीं है। वादीया/प्रत्यर्थी ने जरिये साक्ष्य अपने वाद को साबित कराया है जबकि प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में कोई मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य नहीं करायी गयी है। अतः अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली पर पूर्ण सुनवाई के पश्चात विस्तृत निर्णय पारित किया जो उचित होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

13. हमने उभयपक्ष की बहस के तथ्यों एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। वादीया/रेस्पोडेन्ट का वाद अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.08.2008 को दर्ज रजिस्टर किया इसी दिनांक को अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री एम0एल0बापना के द्वारा अधिकारपत्र प्रस्तुत किया। जवाब दावे हेतु आगामी तारीख 08.09.2008 नियत की गई। दिनांक 08.09.2008 को पीठासीन अधिकारी के अवकाश में होने से आगामी तारीख 10.11.2008 को जवाबदावा हेतु नियत की गई। दिनांक 10.11.2008 को जवाबदावा प्रस्तुत हुआ । प्रकरण कायमी तनकी हेतु आगामी तारीख दिनांक 19.01.2009 नियत की गई। प्रकरण में दिनांक 12.10.2010 को दस्तावेज प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम किये जाने का आदेशिका में अंकन है। पत्रावली में संलग्न पर्चा तनकी दिनांक 12.10.2010 के अनुसार कुल 11 तनकीयात बिन्दु कायम किए गए हैं। इसके पश्चात प्रकरण शहादत वादीया हेतु दिनांक 24.01.2011 नियत की गई। प्रकरण में दिनांक 24.01.2011 को शहादत वादी में स्वयं वादीया पीडब्ल्यू–1 व गवाह रेवत पीडब्ल्यू–2 के शपथपत्र प्रस्तुत किए जाकर आगामी तारीख

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जिरह प्रतिवादी हेतु 18.04.2011 नियत की गई। प्रकरण में दिनांक 26.07.2011 को वादीया पी0डब्ल्यू 01 से जिरह प्रतिवादी द्वारा की गई शेष गवाह पीडब्ल्यू 02 की जिरह प्रतिवादीगण एवं कुलिया गवाह प्रस्तुत करने हेतु आगामी तारीख 25.10.2011 नियत की गई। प्रकरण में दिनांक 12.03.2012 को गवाह पीडब्ल्यू 02 से जिरह की गई और गवाह नारायण पीडब्ल्यू 03 का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ। पत्रावली जिरह हेतु आगामी दिनांक 22.05.2012 नियत की गई। गवाह नारायण से जिरह दिनांक 28.05.2013 को बन्द करते हुए शेष वादी की गवाही हेतु आगामी दिनांक 04.06.2013 नियत की गई। दिनांक 04.10.2013 को गवाह मांगू पिता तिलोक भील पीडब्ल्यू 04 का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ जिससे दिनांक 15.07.2013 को जिरह पूर्ण की गई। दिनांक 15.07.2013 को शेष वादी साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं जिरह हेतु अन्तिम अवसर देते हुए आगामी तारीख 26.08.2013 नियत की गई। प्रतिवादी/अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.08.2013 को गवाह नारायण पीडब्ल्यू 04 से जिरह के लिए बुलाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसके जवाब हेतु प्रकरण आगामी तारीख 12.11.2013 नियत की गई। प्रकरण दिनांक 20.07.2015 को लोक अदालत कैम्प हाल गंगापुर पर पेश हुई। प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 26.08.2013 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया एवं इसी दिनांक को प्रतिवादी संख्या 02 का नाम हटाये जाने का प्रार्थनापत्र वादीया के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर आगामी तारीख 30.09.2015 को वास्ते बहस प्रार्थनापत्र दिनांक 26.08.2013 व जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 20.07.2015 हेतु नियत की गई। दिनांक 21.12.2015 को प्रकरण में आगामी दिनांक 15.02.2016 प्रार्थनापत्र दिनांक 20.07.2015 के जवाब एवं दिनांक 26.08.2013 के प्रार्थनापत्र पर बहस हेतु नियत की गई। दिनांक 15.02.

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2016 को पीठासीन अधिकारी के राजकीय कार्य से बाहर होने आगामी पेशी 30.05.2016 बहस प्रा0पत्र/जवाब हेतु नियत किए जाने का अंकन है। दिनांक 15.02.2016 को शील अंकित थी इसी के नीचे नई आदेशिका अंकित करते हुए पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 के तहत मु0 गोवलिया पर दिनांक 28.05.2016 को पेश होने की संधारित किया जाना स्पष्ट होता है।

14. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नोटिस लोक अदालत/केम्प कोर्ट में उपस्थित होने बाबत दिनांक 28.05.2016 के विपक्षी मांगी पुत्री खेमा चकार व सणगारी पत्नि खेमा चमार को दिनांक 18.05.2016 को जारी किए जो पत्रावली में संलग्न है। नोटिस का अध्ययन करने पर जाहिर आया कि मांगी पुत्री खेमा चमार के नोटिस पर मांगी का ससुराल रहने का अंकन है तथा सणगारी के नोटिस पर सणगारी के फौत होने का अंकन स्पष्ट है। इसके पश्चात अधिनस्थ न्यायालय स्तर से नए नोटिस लोक अदालत शिविर के जारी होना स्पष्ट नहीं होता है। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण को दिनांक 28.05.2016 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 को मुकाम गोवलिया पर प्रस्तुत करते हुए वादीया का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। दिनांक 28.05.2016 को वादीया/रेस्पोडेन्ट उदी की अंगूठा निशानी एवं वादीया के अधिवक्ता की उपस्थिति अंकित है। प्रतिवादी अनुपस्थित तथा एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश का अंकन किया गया। जबकि अपीलार्थी/प्रतिवादी सं0 1 को उक्त कैम्प के सम्बन्ध में पत्रावली में कोई सूचना होना स्पष्ट नहीं होता है। प्रकरण प्रतिवादी संख्या 02 सणगारी के फौत होने से उसका नाम वादपत्र से हटाये जाने के जवाब एवं गवाह पीडब्ल्यू 02 नारायण को जिरह पर उपस्थित करने हेतु

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2013 के बहस में नियत थी। प्रकरण में न तो साक्ष्य वादी बन्द हुई एवं न ही प्रतिवादी/अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अवसर दिए बिना ही कैम्प में एक तरफा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2016 को पारित किया जो विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। प्रकरण में तनकीवार निर्णय भी पारित नहीं किया है।

15. उपरोक्त विवेचनानुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादीगण को बिना सुने एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना ही अपीलार्थी/रेस्पोडेन्ट सं0 1 के विरूद्ध तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है जो विधि सम्मत नहीं पाने से प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

16. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2016 को खारिज किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण की विषयवस्तु से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर साक्ष्य आदि लेकर प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.11.19 को उपस्थित रहें।

17. निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

10/10/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/254/2016

उनवान

2. श्रीमती मांगी पुत्री खेमा बैरवा निवासी खजुरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

2. श्रीमती उदी पत्नी भूरा बैरवा निवासी बणौल तहसील राजनगर

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण संख्या 69/2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2016

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/69/2008** मे **सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः अपीलार्थी अधिवक्ता श्री मनोहरलाल बापना एवं प्रत्यर्थी सं0 1 के अधिवक्ता श्री प्रदीप व्यास की उपस्थिति मे दिनांक 10.10.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2016 को खारिज करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता हैं।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 10.10..2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्क्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस